

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 570 / 2014  
संस्थान दिनांक 20.08.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

..... अभियोगी

**वि रु द्ध**

1. महेन्द्र पिता काशीराम धनगर, आयु 24 वर्ष
2. महेश पिता हगरिया, आयु 36 वर्ष  
दोनों निवासीगण- ग्राम लोहारा,  
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

..... अभियुक्तगण

// नि र्ण य //

**(आज दिनांक 25.02.2016 को घोषित )**

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 215 / 2014 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0द0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196, 5 / 180 में दिनांक 20.08.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त महेन्द्र के विरुद्ध दिनांक 03.08.2014 को समय रात्रि लगभग 8-9 बजे, ग्राम चेकरी में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 को ऐसे उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाया जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया अथवा आहतगण अरिहंत एवं दीपक को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य होने, आहतगण अरिहंत एवं दीपक को टक्कर मारकर उपहति कारित करने, उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाने, उक्त वाहन को अमीमित होते हुए चलाने तथा अभियुक्त महेश के विरुद्ध उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाये जाने के संबंध में अभियुक्त महेन्द्र पर धारा 279, 337 (2 शीर्ष) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 तथा अभियुक्त महेश पर मोटरयान अधिनियम की धारा 5 / 180 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पुलिस थाना अंजड़ के सहायक उपनिरीक्षक आर.ए. यादव को पुलिस थाना बड़वानी से आहत अरिहंत एवं दीपक की प्री.एम.एल.सी. जॉच हेतु प्राप्त हुई थी जिसमें उसने आहत अरिहंत एवं पूनमचंद निवासी ग्राम चकरी के कथन लिये जिन्होंने कथनों में बताया कि घटना दिनांक 03.08.2014 को अरिहंत एवं दीपक अपनी मोटरसाईकिल से घर ग्राम चकरी की ओर जा रहे थे। मोटरसाईकिल अरिहंत चला रहा था, मोटरसाईकिल को रोककर रोड़ किनारे खड़ी की थी, तभी अंजड़ की ओर से एक मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 का चालक उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे अरिहंत को दाहिनी आँख के नीचे, मुँह एवं सिर में, दाहिनी कोहनी पर चोटें आई थी तथा दीपक को भी चोटें आई थी। पुलिस ने आहतों की प्री.एम.एल.सी. जॉच एवं कथनों के आधार पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 के चालक के विरुद्ध थाने क अपराध क्रमांक 215/2015 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0दं0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 3 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी पूनमचंद की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया। पुलिस ने महेन्द्र के पेश करने पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 5 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 5/180 के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त महेन्द्र के विरुद्ध धारा 279 337 (2 शीर्ष) भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 तथा अभियुक्त महेश के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है ।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त महेन्द्र ने दिनांक 03.08.2014 को समय रात्रि लगभग 8—9 बजे, ग्राम चकरी में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 को ऐसे उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाया, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया अथवा आहतगण अरिहंत एवं दीपक को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो गया ?

2. क्या अभियुक्त महेन्द्र ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहतगण अरिहंत एवं दीपक को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त महेन्द्र ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के चलाया ?
4. क्या अभियुक्त महेन्द्र ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अमीमित होते हुए चलाया ?
5. क्या अभियुक्त महेश ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अरिहंत (अ.सा.1), दीपक (अ.सा.2), डॉ. अमित नाईक (अ.सा.3), पूनमचंद (अ.सा.4), सहायक उपनिरीक्षक आर.ए. यादव (अ.सा.5), पण्डू कदम (अ.सा.6) एवं पुलिस प्रधान आरक्षक औंकार साल्वे (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्तों की ओर से उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पाँचों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त पाँचों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी अरिहंत (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि वह अभियुक्तों को जानता है। दिनांक 03.08.14 की रात्रि 8—9 बजे वह अपने घर के सामने रोड़ किनारे अपनी मोटरसाईकिल पर बैठा था, तभी अंजड़ की ओर से मोटरसाईकिल सी.डी. डिलक्स क्रमांक एम. पी. 46 एम.ए. 8477 को महेन्द्र तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह एवं उसका साला दीपक गिर गया था, जिससे उसे दाहिनी आँख, मुँह एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट आई थी। उसका ईलाज साई अस्पताल बड़वानी में हुआ था। उसके पश्चात् बड़ोदा के अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह मोटरसाईकिल चला रहा था, लेकिन साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शनी 1 के कथन में उक्त मोटरसाईकिल स्वयं द्वारा चलाकर बताना स्वीकार

किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध भी पुलिस ने प्रकरण बनाया था, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को कथन देते समय अभियुक्तों का नाम एवं वाहन क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह वाहन चालक को एवं वाहन का क्रमांक नहीं देख पाया था। उसे बाद में पता चला कि वाहन अभियुक्त चला रहा था।

8. दीपक असा 2 का भी कथन है कि दिनांक 03.08.14 को रात्रि लगभग 8-9 बजे वह तथा अरिहंत मोटरसाईकिल से चकेरी जा रहे थे, वे दोनों सड़क किनारे खड़े हो गये तभी सामने से अभियुक्त महेन्द्र मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाकर लाया और उसने उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। मोटरसाईकिल के पीछे महेश भी बैठा था। मोटरसाईकिल का क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 था, जिसे महेन्द्र चला रहा था। दुर्घटना में उसे एवं अरिहंत दोनों को चोटें आई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह एवं अरिहंत मोटरसाईकिल से वाहन चालक दुबे के घर गये थे। वह मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था तथा अरिहंत एवं दीपक आपस में बातचीत कर रहे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि अरिहंत के विरुद्ध भी पुलिस ने प्रकरण बनाया था और उसने अपराध स्वीकार किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस को बयान देते समय अभियुक्तों के नाम नहीं बताये थे। उसे अभियुक्तों के नाम बाद में पता चले थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल का क्रमांक उसे उसी रात्रि को थाने पर आने पर पता चला था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना वाली रात्रि को वाहन कौन चला रहा था वह नहीं देख पाया था। उसे थाने पर आने के पश्चात् बाद में पता चला था, इसलिए वह अभियुक्तों के नाम न्यायालय में बता रहा है।

9. पूनमचंद असा 4 का कथन है कि वह अभियुक्त महेन्द्र को जानता है। अरिहंत उसका पुत्र है। लगभग 1 वर्ष पूर्व उसे अपने पुत्र की दुर्घटना होने की सूचना मिली थी तब वह ग्राम चकेरी गया था जहाँ अरिहंत बेहोश अवस्था में था तथा महेन्द्र भी गिरा हुआ पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि महेन्द्र ने उसकी मोटरसाईकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके पुत्र अरिहंत को टक्कर मार दी थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह अपने पुत्र को अस्पताल ले गया था। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी।

10. सहायक उपनिरीक्षक आर.ए. यादव असा 5 का कथन है कि दिनांक 04.08.2014 को उसे थाना बड़वानी से आहत अरिहंत की प्री.एम.एल.सी. जाँच हेतु प्राप्त हुई थी। उसने आहत अरिहंत एवं दीपक के कथन लेखबद्ध किये जिसमें उन्होंने मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाकर उन्हें टक्कर मारने के संबंध में कथन किये हैं जिसके आधार पर उसने उक्त मोटरसाईकिल के चालक के

विरुद्ध प्रदर्शपी 3 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नक्शा मौका पंचनामा ग्राम चकेरी पहुँचकर प्रदर्शपी 4 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त महेन्द्र के कब्जे से हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 दस्तावेजों सहित जप्त की थीं, जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 5 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान अरिहंत, दीपक, पूनमचंद एवं महेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अरिहंत ने उसके दोनों बार के कथन में वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा साक्षी दीपक और पूनमचंद के कथन में चालक के नाम का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि नक्शा मौका पंचनामा दीपक एवं अरिहंत के बताये अनुसार नहीं बनाया गया, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह विवेचना को बल देने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

11.           औंकार साल्वे असा 7 का कथन है कि दिनांक 03.08.2014 को थाना बड़वानी में आहत अरिहंत की मोटर वाहन से दुर्घटना होने के संबंध में प्री.एम.एल.सी जॉच हेतु प्राप्त होने पर उसने अरिहंत के कथन दिनांक 04.08.2014 को उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, अपनी मर्जी से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं है।

12.           डॉ. अमित नाईक असा 3 का कथन है कि दिनांक 03.08.14 को साई अस्पताल बड़वानी में अरिहंत पिता पूनमचंद को मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके दाहिनी आँख पर रक्त जमा होना, दाहिने हाथ पर सूजन एवं एक रगड़ 2 x 2 से.मी. की दाहिनी कोहनी पर होना पाया था। साक्षी ने आहत के सिर एवं चेहरे की एक्सरे की सलाह देना बताया था तथा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि आहत की एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसे कोई अस्थि भंग की चोट नहीं होना पाई थी। साक्षी ने एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 2 भी प्रमाणित किया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत को आई चोटें सवयं को मोटरसाईकिल से गिरने से आना संभव है।

13.           पण्डु कदम असा 6 का कथन है कि दिनांक 05.08.2014 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 215/14 में जप्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर वाहन के सभी पार्ट्स सही अवस्था में पाये थे तथा साक्षी ने यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 भी प्रमाणित किया है।

14. प्रकरण के आहत अरिहंत एवं दीपक असा 2 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय उन्होंने मोटरसाईकिल का क्रमांक नहीं देखा था और अभियुक्तों को भी नहीं देखा था। अभियुक्तों के नाम एवं मोटरसाईकिल का क्रमांक उन्हें थाने पर आने के बाद में पता चला था। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि वे वाहन चलाने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाये थे। यहाँ तक कि इस प्रकरण के संबंध में काउन्टर प्रकरण अरिहंत असा 1 के नाम से भी दर्ज हुआ है जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया जाना भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। आर.ए. यादव असा 5 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि दोनों ही आहत साक्षियों ने उसे वाहन के चालक का नाम नहीं बताया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी वाहन चालक के नाम का उल्लेख नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त महेन्द्र द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 को लोक मार्ग पर उतालेपन अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर दीपक एवं अरिहंत का जीवन संकटापन्न किया अथवा दीपक एवं अरिहंत को उपहति कारित की। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त महेन्द्र ने उक्त वाहन को बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के तथा वाहन को बिना बीमा के चलाया। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त महेश ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अप्राधिकृत व्यक्ति से चलवाया।

15. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त महेन्द्र के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 एवं अभियुक्त महेश के विरुद्ध चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतः अभियुक्त महेन्द्र एवं महेश को शंका का लाभ देते हुये धारा 279, 337 (2 शीर्ष) भा.द.सं एवं 3/181, 146/196 एवं 5/180 मोटरयान अधिनियम के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम.ए. 8477 दिनांक 08.08.2014 को उसके पंजीकृत स्वामी महेश पिता हगरिया, निवासी- ग्राम लोहारा, थाना अंजड़, जिला बडवानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई है, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

